

## **Regarding need to curb the illegal smuggling syndicate of codeine based cough syrup and other harmful medicines**

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश से संचालित 100 करोड़ रुपये के CODEINE-BASED खांसी की दवाइयों के अवैध तस्करी सिंडिकेट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह विषय सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं बल्कि हेल्थ और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है।

सभापति महोदया, पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के कारण कई मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 98 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसमें सिर्फ छोटे लोग नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े और प्रभावशाली लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

सभापति महोदया, जौनपुर में चार नई फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में भी इस सिंडिकेट की गहरी जड़ें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। यह साफ है कि फर्जी कंपनियाँ बिना लाइसेंस की फार्मसी, नकली दस्तावेज और हवाला के लेन-देन के जरिए यह कारोबार लंबे समय से चल रहे थे।

सभापति महोदया, जब उत्तर प्रदेश में इन दवाइयों पर प्रतिबंध था, तब भी सिरप की खुलेआम बिक्री हो रही थी। यह बेहद चिंताजनक है कि दवा लाइसेंस जारी होते रहे और बिना पर्ची के बिक्री होती रही। बिल और रजिस्टर भी फर्जी बने। जहर को इलाज बताकर आम जनता और बच्चों को पिलाया गया।

सभापति महोदया, जब इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली दवाइयाँ आम बाजार तक पहुँचती हैं, तो जनता के मन में यह सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र सो रहा था या शामिल था? मैं एक विपक्ष की सांसद होने के नाते यह सवाल साफ तौर पर उठाती हूँ कि जब तक राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्ट तंत्र पर उंगली नहीं उठेगी, तब तक ऐसे रैकेट नहीं रूकेंगे।

मैं सरकार से स्पष्ट मांग करती हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। जौनपुर, वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए इस अवैध सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।